कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर।

विज्ञप्ति

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र सं0–2389/एसएलएसए–83/2025 (संदीप/ऋ) दिनांकित 30–07–2025 के क्रम में राष्ट्र के लिये मध्यस्थता अभियान के तहत अधिक से अधिक सुलह–समझौता कराने तथा मध्यस्थता केन्द्र पर अधिवक्ता मध्यस्थगण की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता के लिए मध्यस्थगण की संख्या में 12 मध्यस्थगण की बढ़ोत्तरी हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर के ऐसे अधिवक्ता जो कि सामाजिक कार्यों तथा सुलह–समझौता के आधार पर प्रकरणों का निस्तारण कराने व अधिवक्ता मध्यस्थ के रूप में कार्य किये जाने हेतु रूचि रखते हैं वे, अधिवक्ता मध्यस्थ के रूप में पैनल में नामित होने हेतु आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

आवेदन उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली 2021 के तहत नियत प्रारूप–01 पर प्रस्तुत किया जाना है। आवेदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्तुत होगा।

1. ऐसे अधिवक्ता जिनके पास न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो।
2. सेवा निवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
3. ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ, जिनके पास अपने–अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हों।
   आवेदकों को एक उपक्रम प्रस्तुत करना होगा कि वे भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थता प्रशिक्षण (40 घण्टे की एम0सी0पी0सी0 ट्रेनिंग) प्राप्त करेंगे।

उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले अधिवक्ता दिनांक 04–08–2025 तक नियत प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत करें।

आवेदन पत्र के साथ के अनुलंग्नकः–

1. उत्तर प्रदेश बार काउंसिल पंजीकरण का प्रमाण–पत्र।
2. जिला बार एसोसिएशन का पंजीकरण प्रमाण–पत्र।
3. न्यायालय में 10 वर्ष अथवा 10 वर्ष से अधिक का अनुभव प्रमाण–पत्र।
4. समस्त शैक्षिक अंक एवं प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियां।
5. पहचान–पत्र की छायाप्रति।
6. 02 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।

निर्धारित प्रारूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में समय 10:30 से 04:30 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं एवं जिला न्यायालय, अम्बेडकरनगर की वेबसाइट https://ambedkarnagar.dcourts.gov.in/ के notification लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

योग्य एवं इच्छुक अधिवक्ता निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन–पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के कार्यालय में दिनांक 04–08–2025 तक समय 04:30 बजे से व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय के उपरान्त प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

इस विज्ञप्ति की एक–एक प्रति जिला न्यायालय, अम्बेडकरनगर के नोटिस बोर्ड पर बार एसोसिएशन, अम्बेडकरनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावें। नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स (ई–कोर्टस) को विभाग की वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित की जावे तथा विज्ञप्ति का निःशुल्क प्रकाशन जनपद के प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में भी कराया जाये।

नोट

उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली 2021 के प्रस्तर 05 में उल्लिखित व्यक्ति पैनल में शामिल किये जाने हेतु अनर्ह होंगे।

दिनांक 31–07–2025

31/7/2025

अपर जिला जज/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
अम्बेडकरनगर।

अनुसूची–एक

मध्यस्थता और सुलह केन्द्र

(जिला)

(मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन)

1. नाम:
2. पिता का नाम:
3. पता:
   (क) कार्यालय:
   (ख) निवास:
4. दूरभाष संख्या:
   (क) कार्यालय:
   (ख) निवास:
5. मोबाइल संख्या:
   (क) कार्यालय:
   (ख) निवास:
6. ई-मेल आईडी:
7. शैक्षणिक अर्हताएं:
8. व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव:
9. तकनीकी अनुभव, यदि कोई हो:
10. मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई हो:
11. बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक:
    (केवल अधिवक्ताओं के लिए लागू)
12. क्या आपके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है?
13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है?
14. क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या विकृतचित्त का होना घोषित किया गया है?
15. क्या आपके विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हैं, या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है? :

मैं..... एतदद्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं..... न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिये अपनी सहमति देता हूँ । यह आश्वासन देता हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूंगा । मैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन भी देता हूँ । मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

पूर्ण हस्ताक्षर:

दिनांक:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in